

पटना में दिनांक-06 फरवरी, 2024 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-02/2022 के आवेदकों से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | रेजिंग एण्ड एक्सलेरेटिंग एम०एस०एम०ई० परफॉरमेन्स (रैम्प) योजना की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पंचायती राज विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082+सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

निर्वाचन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु Election Personnel Management Information System (EPMIS) द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्य करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्रालय के National Informatics Centre, Patna बिहार इकाई के Digital Government Research Centre, Patna द्वारा तैयार परियोजना का कार्यान्वयन कराने के लिए NICS (National Informatics Centre Services Incorporated) को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ग्रामीण कार्य विभाग

6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में एमआरएल42-ओल्ड मेची (मांगली चौक) से करुआमणि तक आरसीसी ब्रिज एट ओल्ड मेची (मांगली चौक) से करुआमणि तक चैनेज-15.800 किलोमीटर (पैकेज संख्या- बीआर18पी3आर130) पुल (लम्बाई-625.00मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 64,67,11,000/- (चौंसठ करोड़ सड़सठ लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र [केन्द्रांश-रूपया 9,22,00,000/- (नौ करोड़ बाईस लाख रुपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 54,80,75,000/- (चौवन करोड़ अस्सी लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र] एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 64,36,000/- (चौंसठ लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

6. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में टी12-कदवारा से रामखेतिया रोड में चैनेज 0+100 कि०मी० पर आरसीसी उच्च स्तरीय पुल (पैकेज संख्या- बीआर10पी3आर109) पुल (लम्बाई-326.10 मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 35,07,49,000/- (पैंतीस करोड़ सात लाख उनचास हजार रुपये) मात्र केन्द्रांश-रूपया 9,67,48,300/- (नौ करोड़ सड़सठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 25,38,03,700/- (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार सात सौ रुपये) मात्र एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 01,97,000/- (एक लाख सत्तानवे हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अन्तर्गत किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड में एमआरएल19-आरसीडी रोड झाला से निशांद्रा आरसीडी रोड पर आरसीसी पुल, झाला से निशांद्रा चैनेज-4.400 किमी पर (पैकेज संख्या-बीआर18पी3आर74) पुल (लम्बाई-300.00 मी0) के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि रूपया 31,42,65,000/- (इकतीस करोड़ बयालीस लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र [केन्द्रांश-रूपया 9,33,83,000/- (नौ करोड़ तैंतीस लाख तिरासी हजार रुपये) मात्र, राज्यांश-रूपया 21,78,93,000/- (इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि रूपया 29,89,000/- (उनतीस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र] है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

9. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (एन०आई०टी० पटना) में इनक्यूबेशन सेंटर भवन (B+G+4) के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य (फर्निचर सहित) हेतु कुल रु० 47.76 करोड़ (सैंतालीस करोड़ छिहतर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त राशि अनुदान स्वरूप एन०आई०टी० पटना को विमुक्त करने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि में कुल रुपये 3,55,17,30,000/- (तीन अरब पचपन करोड़ सत्रह लाख तीस हजार) मात्र जिसमें "राज्य स्कीम सात निश्चय-2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" से रुपये 1,93,91,35,000/- तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश रुपये 96,75,57,000/- एवं राज्यांश रुपये 64,50,38,000/- मात्र के अनुमानित व्यय पर पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप डेलिवरी) सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

11. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" हेतु स्वीकृत कुल रुपये 1,04,90,45,000/- (एक अरब चार करोड़ नब्बे लाख पैंतालीस हजार) मात्र की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश राशि रु० 15,73,57,000/- (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख सत्तावन हजार रुपया) तथा समानुपातिक राज्यांश राशि रु० 10,49,05,000/- (दस करोड़ उनचास लाख पाँच हजार रुपया) अर्थात् कुल 26,22,62,000/- (छब्बीस करोड़ बाईस लाख बासठ हजार रुपया) रु० मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आर०आई०डी०एफ०) के तहत प्राप्त ऋण से 200 (दो सौ) अद्द एनिमल एंबुलेट्री वैन, 08 (आठ) अद्द एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) तथा राज्य स्कीम "सात निश्चय-2" के तहत 07 (सात) अद्द एनिमल एंबुलेट्री वैन के क्रय हेतु कुल रुपये 41,38,67,500/- (एकतालीस करोड़ अड़तीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹75,00,00,000/- (पचहत्तर करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

14. राज्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

14. स्वीकृत।